



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



19 पौष, 1945 (श०)

संख्या - 26 राँची, मंगलवार,

9 जनवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

7 नवम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-507/2014-24871 (HRMS)--श्रीमती सुश्री प्रतिभा कुजूर, झांझर, झांझर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के विरुद्ध अपर समाहर्ता, सिमडेगा के पत्रांक-293(ii)/स्था०, दिनांक 18.06.2020 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध बिना पूर्वानुमति स्वेच्छापूर्वक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना कर दिनांक 14.02.2014 की महत्वपूर्ण बैठक में भाग नहीं लेने, स्पष्टीकरण पूछने के बावजूद स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता का परिचय देते हुए स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने एवं उपायुक्त के आदेश के बगैर स्वेच्छा से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा का प्रभार सौंपकर मुख्यालय का परित्याग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-3787, दिनांक 30.07.2020 द्वारा सुश्री कुजूर से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। सुश्री कुजूर के पत्र, दिनांक 26.03.2021 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। समर्पित स्पष्टीकरण में इनके द्वारा निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया है-

(i) उपायुक्त श्री राजीव रंजन का कार्यकाल सिमडेगा उपायुक्त के रूप में 11 फरवरी, 2014 से 20 अक्टूबर, 2014 तक रहा है। ये दिनांक 12.02.2014 को तेज बुखार होने के कारण 13 फरवरी, 2014 से 15 फरवरी, 2014 तक आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु उपायुक्त, सिमडेगा के कार्यालय में आवेदन भेजी थीं। इनके आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना उनको नहीं दी गई ।

(ii) ये दिनांक 13 फरवरी, 2014 से 15 फरवरी, 2014 तक अस्वस्थ होने के कारण आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति हेतु उपायुक्त, सिमडेगा के कार्यालय में आवेदन भेजी थीं। इनके आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति की सूचना उनको नहीं दी गई। अस्वस्थ होने के कारण ये किसी बैठक में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं थी ।

(iii) उपायुक्त के कार्यालय पत्रांक-827, दिनांक 17.02.2014 एवं ज्ञापांक- 858, दिनांक 23.02.2014 द्वारा किये गये स्पष्टीकरण का जवाब इनके द्वारा दिया गया है। साथ ही ज्ञापांक- 850, दिनांक 21.02.2014 द्वारा दिये गये आदेश के आलोक में विभागीय वाहन चालक सहित वापस कर दिया था ।

दिनांक 21.02.2014 को रात्रि 8:30 बजे लगभग गोपनीय कार्यालय से इस आशय का पत्र (ज्ञापांक-850, दिनांक 21.02.2014) उनके आवास पर तामिला कराया गया था और इन्होंने 8:45 बजे तक रात्रि में विभागीय वाहन चालक सहित तत्कालीन उपायुक्त, सिमडेगा के गोपनीय कार्यालय में भेज दिया था। पुनः निदेशानुसार 8:55 बजे रात्रि को विभागीय वाहन चालक सहित परिसदन सिमडेगा में जमा कर दिया गया। तत्कालीन उपायुक्त श्री राजीव रंजन का व्यवहार महिला पदाधिकारियों के प्रति बिल्कुल अनुचित रहा है। उपायुक्त ने 11.02.2014 को सिमडेगा का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात् इन्होंने दिनांक 24.02.2014 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा का प्रभार अपने प्रतिस्थानी श्री बंधन लांग को सौंपा दिया था। ये सिमडेगा सदर में लगभग 3 साल प्रखण्ड विकास पदाधिकारी रही। उपायुक्त श्री राजीव रंजन के साथ ये मात्र 12 दिन ही कार्यरत रही। मात्र 12 दिनों में सिर्फ महिला पदाधिकारी होने के कारण मानसिक रूप से उन्होंने इनको प्रताड़ित किया और विभागीय वाहन वापस ले लिया। इनके छुट्टी आवेदन को बिना कारण अस्वीकृत किया गया और इनको जानबूझकर इसकी सूचना नहीं दी गई ।

(iv) ग्रामीण विकास विभाग के अधिसूचना सं०-711, दिनांक 03.02.2014 के आलोक में दिनांक 24.02.2014 को अपने प्रतिस्थानी के आने पर प्रभार देकर मुख्यालय का परित्याग किया। साथ ही, उपायुक्त, सिमडेगा के आदेश ज्ञापांक-863, दिनांक 25.02.2014 के आदेशानुसार पाकरटांड प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार श्री बंधन लांग को सौंप दिया। अतः इन्होंने स्वेच्छा से कार्य नहीं किया है, बल्कि उपायुक्त, सिमडेगा और झारखण्ड सरकार के आदेश का अनुपालन किया है ।

सुश्री कुजूर के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3056, दिनांक 07.07.2021 द्वारा उपायुक्त, सिमडेगा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-582, दिनांक 02.09.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उक्त मंतव्य में प्रतिवेदित है कि उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के पत्रांक-02, दिनांक 04.01.2023 द्वारा श्री कुजूर के विरुद्ध गठित प्रपत्र-क एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार निम्न प्रकार है-

(i) सुश्री प्रतिभा कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा दिनांक 13.02.2014 से दिनांक 15.02.2014 तक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन दिनांक 12.02.2014 को समर्पित किया गया है।

(ii) बिना किसी सूचना के अनधिकृत रूप से मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में सुश्री प्रतिभा कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा पत्रांक-129, दिनांक 21.02.2014 के माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि तबियत में सुधार नहीं रहने के कारण दिनांक 17.02.2014 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं होने की सूचना उनके द्वारा उपायुक्त महोदय को दूरभाष के माध्यम से दी गई थी।

(iii) सुश्री प्रतिभा कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के द्वारा समर्पित प्रभार रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 24.02.2014 को श्री बंधन लांग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को सिमडेगा प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार सौंपा गया। साथ ही, सुश्री कुजूर द्वारा संयुक्त सचिव, कार्मिक विभाग को समर्पित स्पष्टीकरण के अनुसार उपायुक्त, सिमडेगा के ज्ञापक-863, दिनांक 25.02.2014 के आदेशानुसार पाकरटांड प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार उनके द्वारा श्री बंधन लांग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को सौंपा गया।

(iv) उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सुश्री प्रतिभा कुजूर, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा के स्पष्टीकरण पर यथोचित कार्रवाई की जा सकती है।

सुश्री कुजूर के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, सिमडेगा से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि सुश्री कुजूर द्वारा दिनांक 13.02.2014 से दिनांक 15.02.2014 तक अवकाश एवं मुख्यालय छोड़ने संबंधी आवेदन दिनांक 12.02.2014 को समर्पित किया गया है। तबियत में सुधार नहीं होने के कारण दिनांक 17.02.2014 को आयोजित बैठक में उपस्थित नहीं होने की सूचना सुश्री कुजूर द्वारा उपायुक्त महोदय को दूरभाष के माध्यम से दी गई थी।

सुश्री कुजूर उपायुक्त, श्री राजीव रंजन के पदस्थापन काल में मात्र 12 दिन ही उनके साथ कार्यरत रही हैं। झारखण्ड सरकार के अधिसूचना के आलोक में उनके द्वारा दिनांक 24.02.2014 को प्रखण्ड

विकास पदाधिकारी, सिमडेगा का प्रभार एवं उपायुक्त, सिमडेगा के आदेश ज्ञापांक-863, दिनांक 25.02.2014 के आदेशानुसार पाकरटांड प्रखण्ड का सम्पूर्ण प्रभार उनके द्वारा प्रतिस्थानी श्री बंधन लांग, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को सौंपा दिया गया है ।

अतः समीक्षोपरांत, उपायुक्त, सिमडेगा के मंतव्य से सहमत होते हुए सुश्री प्रतिभा कुजूर, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया जाता है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति सुश्री प्रतिभा कुजूर, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PRATIBHA KUJUR JHK/JAS/170	सुश्री प्रतिभा कुजूर, झांप्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सिमडेगा को आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
